एसएमएस अलर्ट पाने के लिए फार्म के शीर्ष पर अपना मोबाइल नंबर लिखें।

कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995
प्रपत्र 10डी
मासिक पेंशन लेने के लिए आवेदन
अनुदेश

टिप्पणी : *जिन मामलों में पेंशन अन्य क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय से ली जानी है, उनसे संबंधित आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सामान्य अनुदेश

नीचे दी गई क्रं. सं. आवेदन पत्र में दी गई अनुरूप सं. से संबंधित है।

1. पेंशन का दावा कौन प्रस्तुत करता है?
   क्रम सं. 1 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें।

सदस्य	विधवा	विधुर	व्यस्क	अनाथ	संरक्षक	नामित व्यक्ति	अश्रित माता–पिता

2. पेंशन दावा की किस्म

निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करें :–

(क) सेवा निवृत्ति पेंशन : 58 वर्ष की आयु होने पर चाहे सेवा में हो अथवा नहीं

(ख) घटी हुई पेंशन :50 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो किन्तु 58 वर्ष से कम आयु हो और सेवा छोड़ दी हो

(ग) अशक्त्ता पेंशन : पूर्ण और स्थायी आशक्त्ता के कारण सेवा छोड़ दी गई हो

(घ) विधवा व संतान पेंशन : सदस्य की मृत्यु पर

(ड़) अनाथ पेंशन : सदस्य की मृत्यु के पश्चात् माता/पिता की मृत्यु या माता/पिता द्वारा पुनर्विवाह करना

(च) नामिति पेंशन : सदस्य की मृत्यु होने पर और सदस्य की मृत्यु की तिथि को पति/पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों के ना होने पर

(छ) आश्रित माता/पिता पेंशन : यदि सदस्य की मृत्यु के समय कोई परिवार का सदस्य न रहा हो (पति/पत्नी, बच्चें) तथा उसने पेंशन के लिए किसी को नामित नहीं किया हो तो आश्रित पिता और माता आवेदन कर सकते है।

टिप्पणी : यदि सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है/मृतक सदस्य जिसकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हुई हो के दावेदार प्रपत्र 10सी में निकासी प्रतिलाभ के लिए आवेदन करें यदि सदस्य/मृतक सदस्य की पात्र सेवा 10 वर्षो से कम की है।

3 कृपया सदस्य से संबंधित सही ब्यौरे दें।

(क) सदस्य का नाम स्पष्ठ अक्षरों में

(ख) सदस्य की वेवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर/तलाकशुदा

(ग) जन्म तिथि दिनांक/माह/वर्ष

(घ) पिता का नाम/पति का नाम(विवाहित महिला सदस्य के मामले में)

4. सदस्य का खाता संख्या : खाता संख्या में क्षेत्र का कोड, कार्यालय का कोड, स्थापना का कोड, उपकोड यदि हो, तथा खाता संख्या अंकित किया जाना चाहिए।

कुछ राज्यों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में एक से अधिक क्षेत्र बनाये जाने के कारण क्षेत्र कोड बदल गये है। सही क्षेत्र कोड तथा कार्यालय कोड जानने के लिए कृप्या वेबसाइट पर ''स्थापना खोज'' सुविधा का प्रयोग करें।

5. स्थापना जहा सदस्य अन्तिम बार नियुक्त था का नाम और पता अंकित करें

6. सेवा छोड़ने की वास्तविक तिथि का उल्लेख करें। जिस सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और सेवा में हो उसे तारीख का उल्लेख करने की आवश्यकता नही है। ''सेवा में बने रहने'' का उल्लेख करें।

7. सदस्य आशयक्ता पेंशन पाने का हकदार तभी होता है जब उसनें स्थापना द्वारा फार्म 10/5 (पें. स्कीम) के जरिए भविष्य निधि कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार पूर्ण एवं स्थायी अशक्ता के कारण सेवा छोड़ी हो। अन्य सभी मामलों में नौकरी छोड़ने का वास्तविक कारण बताया जाना चाहिए। तथापि जो सदस्य 58 वर्ष की आयु होने के बाद भी नौकरी पर है उसके बारे में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह अब भी सेवारत है।

8. यदि वर्तमान पता अस्थायी हो तो स्थायी पता भी लिखें।

8 (क) यदि सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्व सेवा छोड़ दी हो और आवेदन करने की तिथि को उसकी आयु 58 वर्ष पूरी न हुई हो और वह घटी हुई दर पर पेंशन पाने का इच्छुक हो तो वह उस तिथि का उल्लेख करे जिस तिथि से वह घटी दर पर पेंशन पाना चाहता है।
यह तिथि सदस्य के 50 वर्ष की आयु पूरा करने तथा सेवा छोड़ने की तिथि से पूर्व की नही हो सकती है।

टिप्पणी : नीचे दिए गये क्रमांक 9, 10 तथा 11 सिर्फ सदस्य के मामले में लागू है यदि पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि 26.09.2008 के पूर्व की है। यदि पेंशन 26.09.2008 या उसके बाद की किसी तिथि से प्रारम्भ होना है तो ये क्रमांक लागू नहीं है चुंकि पेंशन के सारांशीकरण तथा पूंजी प्रति लाभ की सुविधा अधिसूचना संख्या 688 (ई) दिनांक 26.09.2008 द्वारा समाप्त कर दी गई है।

9. क्रं. सं. 9 पेंशन स्कीम के अन्तर्गत आने वाले सदस्य पर ही लागू होती है उसके परिवार पर नहीं। आवेदक अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 हिस्सा सारांशीकरण कराने का पात्र है ताकि वह सारांशीकृत पेंशन की 100 गुणा राशि प्राप्त कर सकें।

पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के लिए विकल्प देने के पश्चात् पूंजी के प्रतिलाभ के लिए उल्लिखित मूल पेंशन सारांशीकृत के बाद पेंशन की शेष राशि होगी।

यदि पेंशन 26.09.2008 या उसके बाद की किसी तिथि से प्रारम्भ होना है तो ये क्रमांक लागू नहीं है चुंकि पेंशन के सारांशीकरण की सुविधा अधिसूचना संख्या 688 (ई) दिनांक 26.09. 2008 द्वारा समाप्त कर दी गई है।

10. पूंजी प्रतिलाभ के लिए सदस्य अपना विकल्प दे सकता हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। वह निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है और आवेदन की क्रम संख्या के सामने दिए गये विकल्पों में से एक का उल्लेख कर सकता हैं

विकल्प	पेंशन राशि	पूंजी की वापसी
1.	मूल पेंशन की 90 प्रतिशत राशि	सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को मूल मासिक पेंशन की 100 गुणा राशि
2.	सदस्य की मूल पेंशन की 90 प्रतिशत राशि। उसकी मृत्यु हो पर विधवा/विधुर को पेंशन की 80 प्रतिशत राशि	विधवा/विधुर की मृत्यु होने अथवा पुनर्विवाह करने पर इनमें से जो भी पहले हो, नामित व्यक्ति को मूल पेंशन की 90 गुणा राशि
3.	सदस्य को 20 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए मूल पेंशन की 87.5 प्रतिशत राशि। 20 वर्ष की सेवा से पहले उसकी मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति शेष अवधि के लिए पेंशन प्राप्त करेंगा।	20 वर्ष की सेवा अवधि समाप्त होने पर यदि सदस्य जीवित हो तो उसे मूल पेंशन की 100 गुणा राशि अन्यथा यह राशि नामित व्यक्ति को दी जायेगी।

यदि पेंशन 26.09.2008 या उसके बाद की किसी तिथि से प्रारम्भ होना है तो ये क्रमांक लागू नहीं है चुंकि पेंशन के पूंजी प्रति लाभ की सुविधा अधिसूचना संख्या 688 (ई) दिनांक 26. 09.2008 द्वारा समाप्त कर दी गई है।

11. सदस्य को पूंजी प्रतिलाभ की राशि लेने के लिए अपने नामित व्यक्ति के विवरण प्रस्तुत करने होगें। सदस्य अपनी पत्नी/पति अथवा पुत्रों या पुत्रियों को नामित कर सकता है। विवाहित सदस्य जिसके परिवार का कोई सदस्य (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्रियां) जीवित ना हों तथा अविवाहित व्यक्ति/अविवाहित महिला उपर्युक्त क्रं. सं. 10 में दिए गये तीन विकल्पों के अनुसार पूंजी प्रतिलाभ/देय पेंशन की राशि, यदि कोई हो, लेने के लिए अपनी पंसद के व्यक्ति को नामित कर सकते है।

    विकल्प 2 के मामले में सदस्य अपनी पत्नी/पति को नांमित नही कर सकता है क्योकि सदस्य की मृत्यु के पश्चात् पत्नी/पति को विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त सदस्य पेंशन का 80 प्रतिशत भी मिलेगा और पत्नी/पति की मृत्यु/पुर्नविवाह के बाद ही नामित को पूंजी प्रतिलाभ मिलेगा।

    क्रमांक 11 तभी लागू होगा जब सदस्य क्रमांक 10 के लिए योग्य हो और उसने अपना विकल्प दिया हो।

12. यह कार्य सदस्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी/पति या बच्चों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। सदस्य के परिवार के जीवित सदस्यों, जिनमें उसकी पत्नी या पति व सभी बच्चे शामिल है, का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन–पत्र देने की तारीख तक प्रत्येक अवयस्क बच्चे के संरक्षक के ब्यौर दिये जाने चाहिए। बच्चे की आयु की पुष्टि के रूप में स्कूल अथवा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार अथवा ई.एस.आई. रिकार्ड या नगर पालिका प्राधिकारियों के प्राप्त किया गया आयु प्रमाण–पत्र को आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। नैसर्गिक संरक्षक से भिन्न अभिभावक मामले में अभिभावकता प्रामण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

13. सदस्य के जीवित न होने पर ही लागू होगा। मृत्यु की तारीख की पुष्टि के लिए मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

14. बैंक बचत खाते का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

यदि पत्नी/पति द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपने बचत बैंक खाता संख्या तथा हर बच्चे के बचत बैंक खाता संख्या का भी अलग–अलग उल्लेख करना चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु (सदस्य की मृत्यु की तारीख तक) के बच्चों के बचत बैंक खाता संख्याओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। अवयस्क बच्चे की और से उसके नाम पर खोले गए और उसके संरक्षक द्वारा संचालित बचत बैंक खाते की संख्या का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

पेंशन पात्र पेंशन भोगियों के बचत बैंक खाते में जमा करके प्रत्येक महीने के निर्धारित दिवस को निर्दिष्ठ बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से अदा की जाती है। अतः बचत बैंक खाता निर्दिष्ट बैंको में ही खोला जाना चाहिए। पेंशन भोगियों का बचत बैंक खाता खोलने के लिए निर्दिष्ट बैंक की सभी शाखाओं को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। अतः आवेदक खाता खोलने के लिए उपर्युक्त बैंक की किसी भी शाखा में जा सकता हैं।

सदस्य पत्नी/पति व बच्चों (अवयस्क अथवा वयस्क) को चाहिए कि वे निर्दिष्ट बैंक की उसी शाखा में ही अपना बचत बैंक खाता खोले।

जब कभी सदस्य द्वारा पेंशन के लिए उस स्थान का विकल्प दिया जाता है जो उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता जहां पर वह नौकरी के आखिरी दिनों में नियोजित था, तो उसे उस स्थान से संबद्ध निर्दिष्ट बैंक के नाम का पता कर उसमें अपना बचत खाता खोल लेना चाहिए।

पेंशन मंजूरी के बाद पेंशनभोगी को सूचित कर दिया जाएगा कि वह निर्दिष्ट बैंक से संपर्क करें।

14. क 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले सदस्य की मृत्यु होने पर यदि उसके परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन लेने का पात्र न हो तो भविष्य निधि कार्यालय में पहले से भेजे गए फार्म–2 (संशोधित) के माध्यम से सदस्य द्वारा यथानियुक्त नामित व्यक्ति इस कालम में अपने ब्यौरे देकर आवेदन कर सकता है।

15. यदि सदस्य विभिन्न स्थापनाओं में कार्यरत रहा हो और उसने स्कीम प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो तो इस कालम में ब्यौरा दिए जाने चाहिए। यदि कोई स्कीम प्रमाण–पत्र प्राप्त न किया गया हो अथवा उसके लिए आवेदन नहीं दिया गया हो तो इस कालम में पूर्व नियोजन के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

16. यदि आवेदक कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत पहले से ही पेंशन ले रहा हो या पेंशन के लिए दावा कर रहा हो तो इस कालम में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

17. **संलग्न किए जाने वाले उन दस्तावेजों की सूची** जिनका ब्यौरा कालम सं. 17 में दिया गया है :–

————————————————————————————————

(क) पेंशनभोगी की वर्णन पूंजी और उसके नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान की दो प्रतियां; (फार्म संलग्न हैं)

(ख) पासपोर्ट–साइज के 3 फोटोग्राफ (यदि सदस्य ने दावा किया हो तो पत्नी या पति के साथ संयुक्त फोटो)। यदि सदस्य द्वारा पेंशन का दावा किया जाता है तो बच्चों के फोटोग्राफ भेजने की जरूरत नहीं हैं। यदि दावा विधवा ने किया हो तो विधवा/विधुर तथा उसके बच्चों (25 वर्ष

से कम आयु वाले) के फोटोग्राफ अलग से भेजे जाने चाहिए। फोटोग्राफ नियोक्ता अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्त्यापित किए जाएंगे, जिन पर संबंधित व्यक्ति का नाम लिखकर और उनके पीछे के हिस्से में सदस्य के भविष्य निधि खाते की संख्या का उल्लेख कर उन्हें अलग लिफाफें में रखा जाएगा।

(ग) जो सदस्य नौकरी के दौरान स्थायी एवं पूरी तरह से अशक्त हो गया हो तो उसे कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा बताए गए चिकित्सा बोर्ड से अपनी डाक्टरी जांच करानी चाहिए। बशर्ते कि अशक्तता नौकरी के दौरान हुई हों।

दावा प्रपत्र का सत्यापन

1. आवेदन पत्र उस नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अन्तिम रूप से नियोजित था। यदि प्रपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो दावेदार और नियोक्ता को प्रत्यके पृष्ठ पर जहां अंकित है, हस्ताक्षर करने चाहिए।

2. यदि स्थापना बंद है तथा उसके नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध नही हैं तो दावेदार निम्नलिखित किसी एक प्राधिकृत अधिकारी से उसके कार्यालय की मोहर के साथ फार्म सत्यापित करवाकर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर कराके दावा भेज सकता है :–

(i) मजिस्ट्रेट (ii) राजपत्रित अधिकारी (iii) डाक/उप–डाकपाल (iv) ग्राम संघ का प्रधान (v) जहां कोई संध बोर्ड नहीं है वहां ग्राम सरपंच (vi) नगर पालिका/जिला परिषद के सचिव/अध्यक्ष/सदस्य द्वारा (vii) संसद/विधान सभा के सदस्य (viii) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड/क्षेत्रीय समिती के सदस्य (ix) बैंक, जहां पर सदस्य का खाता हो, के प्रबंधक से (x) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान का प्रमुख